निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 वैशाख 1931 (श0)
(सं0 पटना 190) पटना, मंगलवार, 12 मई 2009

विधि विभाग

अधिसूचनाएं
12 मई 2009

संख्या-एल0जी01-02/2009/लेज-20—बिहार विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 मार्च, 2009 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।

(बिहार अधिनियम 4, 2009)

बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2009

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के संशोधन के लिए अधिनियम

प्रस्तावना :- चूँकि, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि वह अधिसूचित सहकारी सोसाइटी, जिसे बिहार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है का निर्वाचन प्राधिकार जिसे इस अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी सोसाइटी के प्रबन्ध समिति के निर्वाचन के संचालन के लिए बनाया गया हो के द्वारा संचालित होगा, ताकि इन्हें प्रजातांत्रिक रूप से अति सुशासित और निर्वाचन की प्रक्रिया को अतिपारदर्शी बनाया जा सके।

तथा चूँकि, यह बाध्यकारी है कि अधिसूचित सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन अधिसूचना की तिथि से छह माह के अन्दर प्राधिकार से कराया जाएगा और जिसका विस्तार अगले छह माह तक किया जा सकेगा को कतिपय कारणों यथा पैक्सों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं अराजपत्रित कर्मचारी के हड़ताल के कारण मतदाता सूची के निर्माण में विलम्ब होने के कारण पूरा नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त सम्भावित लोक सभा का चुनाव, जिसकी प्रक्रिया मई, 2009 में पूर्ण होना सम्भावित है, के कारण निर्धारित अवधि में चुनाव सम्पादित कराया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

तथा चूँकि, अधिसूचित सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन, प्राधिकार से कराने हेतु और समय की आवश्यकता है।

तथा चूँकि, बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 में इस प्रायोजनार्थ संशोधन करना आवश्यक है;

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-14क का प्रतिस्थापन।-इस अधिनियम की धारा-14क की ''उप-धारा (3)'' को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

''इस अधिनियम की धारा-14 की उप-धारा (9) तत्सम्बन्धित अधीन नियमावली एवं निबंधित सोसाइटी के उप-विधियां के प्रावधान के होते हुए सहकारी सोसाइटी के वर्ग या वर्गों के प्रबन्ध समिति का निर्वाचन इस धारा की अधिसूचित उप-धारा (1) के तहत् प्रथम अधिसूचना की तिथि से छह माह के अन्दर होगा, और जिसे ऐसी अधिसूचना के राजकीय गजट में प्रथम प्रकाशन की तिथि से अनधिक दो वर्षों तक उपयुक्त कारणों के साथ, प्रत्येक छह माह के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।

12 मई 2009

संख्या-एल0जी01-02/2009/लेज-21—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2009 को अनुमत बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2009 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।

[Bihar Act 4, 2009]

BIHAR CO-OPERATIVE SOCIETY (AMENDMENT) Act, 2009

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR CO-OPERATIVE SOCIETY ACT, 1935

Preamble:- Where it is priority of the Government to conduct the election of Notified Society published in the Official Gazette by an authority, created for the purpose of conduct of election to the managing committee of registered societies under this Act and to make them more democratically well governed with more transparency of the conduct of election process.

AND WHEREAS, it is mandatory to get the election of notified societies conducted by an authority within six months from such notification which may further be extended for a period of six months could not be completed on account of various factors such as prolongment of reorganisation process and strike of non-gazetted employees leading to delay in preparation of Voter List. Besides this, due to the proposed Lok Sabha Election, whose process is likely to be completed in May, 2009 and as such the election is not possible to be completed in the stipulated time.

AND WHEREAS, it was necessary to have more time to get the election of notified societies conducted by an authority.

AND WHEREAS, it is necessary to bring out certain amendment to the Bihar Co-operative Societies Act, 1935.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixtieth year of Republic of India as follows:-

1. *Short title, extent and commencement.-* (1) This Act may be called the Bihar Co-operative Societies (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Substitution of Section-14A of the Bihar Co-operative Societies Act, 1935.*—The "sub-section (3)" of Section-14A of the said Act shall be substituted by the following:-

"Not withstanding anything contained in the sub-section (9) of the Section-14 of this Act, rules made thereunder and the bye-laws of the registered society, the election of the managing committee of the class or classes of the registered societies notified under sub-section (1) shall be held within six months from the date of such notification and which may further be extended with due reason for a term of six months at a time but not exceeding two years from the date of first publication of such notification in the official gazette.

By Order of the Governor of Bihar,
RAJENDRA KUMAR MISHRA,
Secretary to Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 190-571+400-डी०टी०पी०।